


28.7.2021

पञ्जावली काज पेश दुर्घा वसुलाप करीडेन  
 अखित / तहसीलदार रानीवाडा के पत्रांड कोर्ट/2021/585  
 दिनांड 06.07.2021 से चारा पय(प) RT Act, 1953 के  
 सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त दुर्घा मित्रा अवलोकन  
 छिया गमा। मिले अनुसार गोला जालेरा कुला के  
 खे. न. 10, 11 खं 714 में चारा पय(प) RT Act, 1953 का  
 प्रथम उज्या उल्लंघन पाया जाने पर वांछित रिपोर्ट की  
 पुमानेन प्रतिक्रिया में परवार हला जालेरा कुला से प्राप्त  
 कर सापत्ताग मू-सापत्ताग अभिलिपत 1952 की दाय 82 के  
 तहत रेफरेंस लेया कर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान  
 मिषा डलेक्टर म होडम, जालोर डो फीए राफिज्ड डाड ले  
 दिनांड 06.07.2021 को निपवाया गया है।

ऐसी स्थिति में हाजिर प्रकरण में अग्रिम  
 कार्यवाही के संबंध में नही रोम ले प्रकृत इस तौर  
 पर पत्रित छिया जाना है।

पञ्जावली पुरतल शुमार होकर ताबर ले  
 कर है। निर्णय ले इपत्ताग दुगाया गया।

  
 सहायक कलेक्टर  
 रानीवाडा जिला-जालोर

